

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक 3477 / 12-1.

दिनांक, गोपेश्वर, मार्च 18 /2021

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,

कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।

द्वारा:-

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,
पौड़ी।

विषय:-

जनपद चमोली में लोल्टी-कस्बीनगर मोटर मार्ग की विस्तार हेतु 0.188 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण। (online no- FP/UK/Road/32572/2018)

संदर्भ:-

भारत सरकार के पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/०६/१६९/२०२०/एफ०सी०/२०७८ दिनांक ३१.१२.२०२०.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली ने अपने पत्र सं० 234/36 सी० दिनांक 11.02.2021 से आपत्ति का निराकरण कर सूचना निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है:-

1	प्रस्ताव में प्रारम्भ लगभग 01 किमी० लम्बाई में मार्ग पूर्व से निर्मित दिखाई दे रहा है। यदि इसमें कोई Violation हुआ है, तो उसकी जानकारी प्रस्तुत की जाये।	उक्त मोटर मार्ग के प्रारम्भ में लगभग 01 किमी० मार्ग निर्माण कार्य ग्राम सभा कस्बीनगर के भूमिधरों की नाप भूमि में किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार से वन अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।
2	मात्र 0.188 है० क्षेत्र में 46 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जिनमें अधिकतर बांज (ओक) प्रजाति के हैं के०एम०एल० फाईल पर दर्शित जानकारी अनुसार इन वृक्षों को बचा कर भी समरेखण बनाया जा सकता है।	उक्त मोटर मार्ग के समरेखण पर ग्रामवासियों की सहमति के आधार पर न्यूनतम वृक्षों को क्षति पहुंचाते हुए किया गया है। न्यूनतम वृक्षों हेतु इस समरेखण के अलावा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।
3.	गैर वन क्षेत्र (1.7 है०) में प्रभावित होने वाले वृक्षों की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है।	कास्तकारों की नाप भूमि में किसी भी प्रकार के वृक्षों को क्षति नहीं पहुंचायी गयी है।

अतः उक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही की कृपा करे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, CON. DIV. PWD THARALI

Ph. No :- 01363-271224

e_mail :- eecdthrl.pwduk@gov.in

पत्रांक 231 / 36सी0

दिनांक 11 / 02 / 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर चमोली।

विषय:- जनपद चमोली में लोल्टी-कस्बीनगर मोटर मार्ग की विस्तार हेतु 0.188 हेक्टेयर वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण। (Online no. FP/UK/ROAD/32572/2018)
संदर्भ- भारत सरकार के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/169/2020/एफ0सी0/2078 दिनांक 31/12/2020।

महोदय

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि उक्त वन भूमि प्रस्ताव पर लगायी गई आपत्तियों का का विन्दुवार निराकरण कर प्रेषित है।

कम सं०	आपत्तिया	विन्दुवार निराकरण
1	प्रस्ताव में प्रारम्भ लगभग 1 कि०मी० लम्बाई में मार्ग पूर्व से निर्मित दिखाई दे रहा है। यदि इसमें को Violation हुआ है, तो उसकी जानकारी प्रस्तुत की जाये।	उक्त मोटर मार्ग के प्रारम्भ में लगभग 01 कि०मी० मार्ग निर्माण कार्य ग्राम सभा कस्बीनगर के भूमिधरों की नाप भूमि में किया गया है। इसमें किसी भी प्रकार से वन अधिनियम का उलघन नहीं किया गया है।
2	मात्र 0.188 हेक्टेयर क्षेत्र में 46 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिनमें अधिकतर ओक प्रजाति के हैं के०एम०एल० फाईल पर दर्शित जानकारी अनुसार इन वृक्षों को बचा कर भी समरेखण बनाया जा सकता है।	उक्त मोटर मार्ग के समरेखण पर ग्रामवासियों की सहमति के आधार पर न्यूनतम वृक्षों को क्षति पहुँचाते हुये किया गया है। न्यूनतम वृक्षों हेतु इस समरेखण के अलावा अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है
3	गैर वन क्षेत्र (1.7हे०) में प्रभावित होने वाले वृक्षों की जानकारी प्रस्तुत की जाये।	कास्तकारों की नाप भूमि में किसी भी प्रकार के वृक्षों को क्षति नहीं पहुँचायी गयी है।

अतः आख्या सूचनार्थ व आवश्यक कार्यावही हेतु प्रेषित।

o/c

10/02/21
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
थराली